

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 602]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2022—अग्रहायण 4, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2022

क्र. एफ 1-10-2022-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक “इकतालीस-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग”, के अधीन “भाग (उ) में ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय” के अधीन अनुक्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2022

क्र. एफ 1-10-2022-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-10-2022-एक (1), दिनांक 25 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 25<sup>th</sup> November 2022

No. F. 1-10-2022-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Business (Allocation) Rules, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule, under the heading "XLI-Science and Technology Department", in part (E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above, serial number 3 and entry relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RANJANA PATNE, Dy Secy.

1203